

बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में अग्रयुक्त भूमि

7064. श्री मोलहू प्रसाद :  
श्री शिवचरण साल :  
श्री रामचरण :  
श्री रामजी राम :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानी के एक स्थान पर जमा हो जाने तथा बार-बार बाढ़ आने के कारण उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 45 से 50 लाख एकड़ भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दोनों समस्याओं का हल निकालने तथा कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये तीन करोड़ रुपये की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष औसतन लगभग 18 लाख एकड़ फसली क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। जल-जमाव वाला क्षेत्र 1966 में 3 000 एकड़ से कुछ अधिक था।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिये कोई विशेष प्रार्थना नहीं की है। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विधि राज्यों को बाढ़ नियंत्रण, जल-निकास, जल-जमाव-रोधी तथा समुद्र-कटाव-रोधी स्कीमों के लिये ऋण सहायता दी जाती है जो राज्य की योजना में सम्मिलित स्कीमों के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता का एक भाग होती है। विविध राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के तथा विकास के विभिन्न शीर्षों के लिये व्यय-राशियों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

7065. श्री मोलहू प्रसाद :  
श्री शिवचरण साल :  
श्री राम चरण :  
श्री रामजी राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने ऋण पत्रों शेरों आदि के रूप में उत्तर प्रदेश के उद्योगों में केवल चार करोड़ रुपये का विनियोजन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के अन्य सभी राज्यों की तुलना में जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में इस मद के अन्तर्गत किया गया विनियोजन न्यूनतम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध मिला है कि भारत का औद्योगिक विकास बैंक तथा जीवन बीमा निगम को राज्य सरकार की विनियोजन संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये भ्रष्ट किये जानेवाले कुल बांडों के 76 प्रतिशत बाण्ड खरीदने चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(घ) सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ङ) यह सवाल पंदा ही नहीं होता।